

**भारत गणराज्य सरकार तथा ब्राजील संघ गणराज्य की सरकार के बीच
वर्ष 2006-07 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम**

भारत गणराज्य की सरकार

और

ब्राजील संघ गणराज्य की सरकार

(जिन्हें आगे पक्ष कहा गया है)

सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग में अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए और अपने-अपने लोगों के बीच मित्रता और परस्पर मेल-जोल को प्रगाढ़ बनाते हुए; और

दोनों पक्षों द्वारा 23 सितम्बर, 1968 को किए गए सांस्कृतिक सहयोग करार को ध्यान में रखते हुए;

वर्ष 2006-07 के लिए निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहमत हैं :

अनुच्छेद-I

पुस्तकालय एवं अभिलेखागार

1. दोनों पक्ष, दोनों देशों के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संग्रहों के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से पुस्तक और अभिलेख डिजिटीकरण के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए इस सूचना के परिचालन और सार्वजनिक सुलभता के लिए प्रयुक्त नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए सर्वोत्तम तरीके पर विचार करेंगे।

2. दोनों पक्ष, अध्ययनों के अपने-अपने क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यों में सहायता के उद्देश्य से पुस्तकों, समाचार-पत्रों, माइक्रोफिल्मों तथा अभिलेख सामग्रियों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद-II

छायाचित्र

1. दोनों पक्ष छायाचित्र के क्षेत्र में प्रलेखन, आवधिक और गैर-आवधिक प्रकाशनों तथा अन्य कार्यकलापों के आदान-प्रदान के माध्यम से सूचना के आदान-प्रदान में रुचि व्यक्त करते हैं।
2. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के क्षेत्र में सामूहिक तथा व्यक्तिगत छायाचित्र प्रदर्शनियों के आयोजन में भी रुचि व्यक्त करते हैं।

अनुच्छेद-III

रंगमंच कलाएं

1. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के क्षेत्र में कलाकारों और पहलों को बढ़ावा देने में सहयोग के उद्देश्य से एक-दूसरे की वीथियों और संग्रहालयों; नृत्य, संगीत और रंगमंच मंडलियों तथा अन्य संस्थानों और संगठनों और साथ ही अभिकर्ताओं/व्यवसायियों में सम्पर्क को प्रोत्साहित करते हुए रंगमंच कलाओं के क्षेत्र में सहयोग के विकास को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद-IV

संगीत

1. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के क्षेत्र में महोत्सवों में प्रस्तुतियों तथा पाठ्यक्रम या संगीत कार्यशालाएं आयोजित करने के उद्देश्य से संगीतकारों तथा संगीत मंडलियों के दौरों को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद-V

साहित्य

1. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के प्रतिनिधि लेखकों की चुनिंदा कृतियों के अनुवाद को प्रोत्साहित करेंगे।
2. दोनों पक्ष, जब भी संभव होगा, एक-दूसरे के क्षेत्र में राष्ट्रभाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेखकों के परस्पर दौरों को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद-VI

प्रदर्शनियाँ

1. दोनों पक्ष, कला प्रदर्शनियों तथा एक-दूसरे के देश में आयोजित प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक महोत्सवों के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।
2. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में आयोजित द्वैवार्षिकी और त्रैवार्षिकी अंतर्राष्ट्रीय ललित कला शो में भाग लेंगे।

अनुच्छेद-VII

सिनेमा

1. दोनों पक्ष, भारत में फिल्म महोत्सवों में ब्राजीली फिल्मों और ब्राजीली उत्सवों में भारतीय फिल्मों के भाग लेने को बढ़ावा देंगे। दोनों पक्ष भारत में ब्राजीली फिल्म-सप्ताह और ब्राजील में भारतीय फिल्म-सप्ताह आयोजित करने का प्रयास भी करेंगे। दोनों पक्ष भारतीय और ब्राजीली फिल्मों का संयुक्त वितरण आरंभ करने की संभावनाओं का विश्लेषण भी करेंगे।
2. दोनों पक्ष, सिनेमा के संबंध में फिल्मों, सामग्री, शोधों और अध्ययनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद-VIII

संग्रहालय और पुरातत्व

1. दोनों पक्ष, प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान, इनके परिवहन की गारंटी, बीमे, आयोजन और संवर्धन के उद्देश्य से अपने-अपने राष्ट्रीय संग्रहालयों के प्रभारी सरकारी संस्थानों अथवा विभागों में सहयोग को बढ़ावा देंगे।
2. दोनों पक्ष, ललित कलाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संग्रहालयों तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करेंगे। इस सहयोग में अन्य पहलों के साथ-साथ सूचना व प्रलेखन का आदान-प्रदान शामिल हो सकता है।
3. ऐसे आदान-प्रदानों की शर्तें, इच्छुक संस्थाओं द्वारा सीधे परिभाषित की जाएंगी।

4. दोनों पक्ष, अध्ययन के उद्देश्य से तथा पुरातत्व स्थलों और संग्रहालय कलावस्तुओं से संबंधित अनुसंधान मामलों में दो अथवा तीन विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के माध्यम से पुरातत्व के क्षेत्र में अपनी-अपनी संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद-IX

सांस्कृतिक विरासत

1. दोनों पक्ष, इच्छुक संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित विशिष्ट करारों के आधार पर अपनी-अपनी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रदर्शनियों का आयोजन करेंगे। दोनों पक्ष इस क्षेत्र में व्यवसायियों के आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत की पहचान, संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन में एक-दूसरे के अनुभवों से परिचित हो सकें।

2. दोनों पक्ष, सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय संस्थाओं में संपर्क को प्रोत्साहित करेंगे तथा सांस्कृतिक निधियों के संरक्षण और मूल्यांकन के क्षेत्र में जानकारी और प्रलेखन का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष, एक-दूसरे पक्ष द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में अपने-अपने विशेषज्ञों की सहभागिता को समान रूप से प्रोत्साहित करेंगे।

3. दोनों पक्ष, सांस्कृतिक निधियों के अवैध आयातों और निर्यातों तथा अवैध व्यापार को रोकने के लिए, इस विषय पर यूनेस्को समझौते के अनुरूप सहयोग करेंगे तथा सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

4. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में लोगों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संयुक्त रूप से कार्य करने की संभावना पर विचार करेंगे।

अनुच्छेद-X

प्रकाशनाधिकार एवं सम्बद्ध अधिकार

1. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश के लेखकों के सृजनात्मक क्षेत्र से सम्बंधित पहलुओं पर जोर देते हुए, प्रकाशनाधिकारों, विशेषतः ऐसे प्रकाशनाधिकार जो बौद्धिक सम्पदा की प्रणाली के सामाजिक प्रकार्य से संबंधित हों, के संरक्षण हेतु विधान एवं व्यवस्था के विकास तथा परिष्करण के लिए सहयोग को सुदृढ़ करेंगे।

अनुच्छेद-XI
वित्तीय व्यवस्थाएँ

1. वर्तमान आदान-प्रदान कार्यक्रम में उल्लिखित सहयोग के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय शर्तें, सीधे इच्छुक संस्थानों के बीच या राजनयिक चैनलों के माध्यम से अलग-अलग मामले के अनुसार पारस्परिक आधार पर बातचीत करके तय की जाएंगी। इसी प्रकार, संस्कृति को प्रोत्साहन देने वाले एक-दूसरे के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, निजी एवं सार्वजनिक उद्यमों की भागीदारी संभव हो सकेगी।
2. वर्तमान कार्यक्रम, इस पर हस्ताक्षर होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा 31 दिसम्बर, 2007 तक अथवा इसके स्थान पर नए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर होने तक प्रभावी रहेगा।

इस कार्यक्रम पर दिनांक को ब्राजीलिया में हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं की दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए तथा ये सभी पाठ समान रूप से वैध हैं। निर्वचन में संदेह की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य सरकार
की ओर से

ब्राजील संघ गणराज्य की सरकार
की ओर से

नाम :

नाम :

पदनाम :

पदनाम :